भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 717

04 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

दक्षिण कन्नड़ में पीएम-जीकेएवाई

717. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दक्षिण कन्नड़ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत कार्यान्वयन अंतराल की पहचान की है, विशेष रूप से ऐसे मामले जहाँ पात्र लाभार्थी लंबित ई-केवाईसी सत्यापन, 'प्वाइंट-ऑफ-सेल' डिवाइस की खराबी या राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी मुद्दों के कारण मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने में असमर्थ थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या दक्षिण कन्नड़ में 17,000 से अधिक लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा होना अभी बाकी है और यदि हाँ, तो देरी के संबंध में ब्यौरा क्या है और इसे हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या राशन देने से इनकार, वितरण में देरी या प्रशासनिक भ्रम जैसी अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें औपचारिक रूप से दर्ज की गई थीं और यदि हाँ, तो इस संबंध में अधिकारियों द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है; और

(ड.) वितरित किए गए घटिया खाद्यान्नों की गुणवत्ता जांच और समय पर बदलने को सुनिश्चित करने तथा खामियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सरकार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के अंतर्गत दक्षिण कन्नड़ जिले में किसी भी प्रकार की प्रणालीगत कार्यान्वयन कमी को दर्शाने वाली कोई विशिष्ट शिकायत या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसमें ऐसे किसी भी मामले की सूचना शामिल नहीं है,जिनमें पात्र लाभार्थी लंबित ई-केवाईसी सत्यापन,प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) डिवाइस की विफलता अथवा राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी से संबंधित समस्याओं के कारण निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने में असमर्थ रहे हों। वर्तमान स्थिति के अनुसार, कर्नाटक में 98.72 प्रतिशत लाभार्थियों का ई-केवाईसी सत्यापन पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक राज्य में 100 प्रतिशत राशन कार्ड एवं लाभार्थी आधार से जुड़े हुए हैं तथा लगभग 99.4 प्रतिशत उचित दर दुकानें (एफपीएस) पूर्णतः ऑनलाइन हैं, जिससे योजना का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।

...2/-

(ख): इस विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह परामर्श दिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के अंतर्गत प्रमाणीकरण में विफलता अथवा तकनीकी बाधाओं जैसे अस्थायी मामलों में भी किसी भी वास्तविक लाभार्थी को खाद्यान्न से वंचित न किया जाए। पात्र खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त वैकल्पिक तंत्र तथा प्रशासनिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग): वर्तमान में कर्नाटक में 98.72 प्रतिशत लाभार्थियों का ई-केवाईसी पहले ही पूर्ण किया जा चुका है। शेष लाभार्थियों के ई-केवाईसी को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार को उचित दर दुकानों तथा नामित केंद्रों पर लक्षित संपर्क एवं सुविधा उपलब्ध कराने के माध्यम से प्रक्रिया में तेजी लाने का परामर्श दिया गया है, ताकि पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जा सके।

(घ): राशन से वंचित किए जाने, वितरण में विलंब अथवा प्रशासनिक भ्रम से संबंधित कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह परामर्श दिया गया है कि नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग से संबंधित समस्याओं, अन्य तकनीकी कारणों अथवा लाभार्थी के बायोमेट्रिक्स के साक्ष्य के कारण बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण में विफलता की स्थिति में भी किसी भी वास्तविक लाभार्थी/परिवार को सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न के उनके पात्र कोटे को प्राप्त करने से वंचित न किया जाए।

(ड.): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारतीय खाद्य निगम तथा विभाग के भंडारण एवं अनुसंधान प्रभाग की टीमों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार नियमित गुणवत्ता जांच की जाती है। समान विनिर्देशों से कम गुणवत्ता वाले पाए गए खाद्यान्न को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार त्वरित रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से खरीद से लेकर पात्र लाभार्थियों तक वितरण की पूरी प्रक्रिया में खाद्यान्न की गुणवत्ता के मानकों को एकरूप रूप से बनाए रखने हेतु गुणवत्ता नियंत्रण मैनुअल तैयार कर जारी किया गया है। ये उपाय निरंतर निगरानी के साथ मिलकर किसी भी प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने तथा लाभार्थियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायक हैं।

*****